रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277852
CG-DL-E-12112026-277852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 672] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में,

(1) **राजस्थान** के नीचे, क्रम संख्या 18 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"19.	बीकानेर एग्रीमार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 92/एन/एफएसएसएआई/2026	जैविक, रासायनिक";

	11/1ए/17-ए, रिंग रोड परियोजना, ग्राम-चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत	

(2) **उत्तर प्रदेश** के नीचे, क्रम संख्या 16 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	**प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता**	**प्रत्यायन का क्षेत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
"17.	न्यूकॉन कंसल्टेंट्स एंड लैबोरेटरीज पंजीकरण सं. 91/एन/एफएसएसएआई/2026 ए-1/156, स्वदेशी कंपाउंड, कविनगर, सेक्टर-17, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	जैविक, रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) **मध्य प्रदेश** के नीचे, क्रम संख्या 13 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	**प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता**	**प्रत्यायन का क्षेत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
"14.	संभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, इंदौर पंजीकरण सं. 89/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2026 तलावली चंदा, मांगलिया, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत	रासायनिक";

(2) **महाराष्ट्र** के नीचे, क्रम संख्या 49 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	**प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता**	**प्रत्यायन का क्षेत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
"50.	ऑटोकाल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 87/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2026 यूनिट नंबर 5, 10 और 11, रूबी इंडस्ट्रियल एस्टेट पीसी लिमिटेड, पालघर, महाराष्ट्र	जैविक, रासायनिक
51.	केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला पंजीकरण सं. 88/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2026 उत्तर अंबाझरी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत	रासायनिक";

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में, **केरल** के नीचे, क्रम संख्या 22 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	**प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता**	**प्रत्यायन का क्षेत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
"23.	कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना, कृषि महाविद्यालय पंजीकरण सं. 105/एस/एफएसएसएआई/2026 वेल्लयानी पी.ओ., तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत	रासायनिक"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./443/2026-27]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 3, खंड 4 मे अधिसूचना संख्या फा.सं . क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 30 सितम्बर, 2026 के माध्यम से किया गया था ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under ***Rajasthan***, after serial number 18, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"19.	Bikaner Agrimarketing Private Limited Reg. No. 92/N/FSSAI/2026 11/1A/17-A, Ring Road Project, Village-Chimanpura, Tehsil Sanganer, Jaipur, Rajasthan, India	Biological, Chemical";

(2) under ***Uttar Pradesh***, after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"17.	Newcon Consultants & Laboratories Reg. No. 91/N/FSSAI/2026 A-1/156, Swadeshi Compound, Kavinagar, Sector-17, Ghaziabad, Uttar Pradesh	Biological, Chemical";

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under ***Madhya Pradesh,*** after serial number 13, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"14.	Divisional Food Testing Laboratory, Indore Reg. No. 89/W/FSSAI/2026 Talawali Chanda, Mangliya, Indore, Madhya Pradesh, India	Chemical";

(2) under ***Maharashtra,*** after serial number 49, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"50.	Autocal Solutions Private Limited Reg. No. 87/W/FSSAI/2026 Unit No. 5, 10 & 11, Ruby Industrial Estate Pcs Ltd, Palghar, Maharashtra	Biological, Chemical
51.	Central Agmark Laboratory Reg. No 88/W/FSSAI/2026 North Ambazari Road, Nagpur, Maharashtra, India	Chemical";

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION, under ***Kerala,*** after serial number 22, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"23.	All India Network Project on Pesticide Residues, College of Agriculture Reg. No. 105/S/FSSAI/2026 Vellayani P.O, Thiruvananthapuram, Kerala, India	Chemical"

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./443/2026-27]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 30th September, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.12 16:19:47 +05'30'